रक्षा गृह संचालन हेतु प्रस्ताव आमंत्रण (Request for Proposal)

1. **परिचयः** महिला एवं बाल विकास निगम, राज्य में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सशक्तिकरण एवं विकास के लिए बिहार सरकार की एक नोडल संस्था है।
2. **मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजनाः** राज्य सरकार द्वारा महिलाओं एवं किशोरियों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृति सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2007 में एक समेकित नारी शक्ति योजना की स्वीकृति दी गयी थी, जिसे मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के नाम से जाना जाता है। यह योजना शत प्रतिशत राज्य सरकार की निधि से संचालित है।
3. **रक्षा गृह** :– वैसी महिलाये एवं किशोरियों जो Immoral Traffic Prevention Act., 1986 and Protection of Women against Domestic Voilence Act., 2005 के अधीन उत्पीड़ित है, उसके देखभाल, सुरक्षा एवं पुनर्वासन हेतु पटना जिला में एक पूर्णतः आवासित 'रक्षा गृह' का संचालन किया जाना है। यह गृह पटना जिला में 50 बिस्तर वाले क्षमता को होगा। रक्षा गृह की स्थापना एवं संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी गयी है।
4. **आवश्यक अर्हतायः प्रस्ताव** (Request For Proposal) **देने वाली स्वयं सेवी संस्थाओं की निम्नांकित अर्हतायं होनी आवश्यक होगी** :–

क्र0 सं0	मानदंड	आवश्यक दस्तावेज (स्व हस्ताक्षरित–फोटोकॉपी)	चयन के लिए आवश्यक
(क)	संस्था, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 / सोसायटी अधिनियम 1860 अथवा कॉपरेटिव एक्ट के अधीन निबंधित हो।	संस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं उप–विधियां	अनिवार्य
(ख)	संस्था नीति आयोग द्वारा संस्थापित NGO Darpan Portal में अनिवार्य रूप से निबंधित हो	NGO दर्पण पर पंजीकरण का साक्ष्य	अनिवार्य
(ग)	1. संस्था को महिला / बाल संरक्षण एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो। 2. अनैतिक मानव रोकथाम अधिनिमय 1986 / बाल संबंधी कानून एवं नियमों से संबंधित कार्यो की जानकारी रखने वाली संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।	कार्यादेश एवं कार्यानुभव से संबंधित साक्ष्य	अनिवार्य

(घ)	संस्था का विगत 3 वर्षो का औसत आय कम–से–कम .10 लाख रूपये का हो।	विगत तीन वित्तीय वर्ष (2018-2019, 2019-2020, & 2020- 2021)का चार्टड एकाउंटेंट द्वारा अंकेक्षित आय–व्यय प्रतिवेदन।	अनिवार्य
(ड)	संस्था/ट्रस्ट किसी भी सरकार/विभाग के द्वारा काली सूची में दर्ज ना हो।	संस्था के काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी का शपथ पत्र विज्ञापन प्रकाशन के बाद की तिथि मे होनी चाहिए।	अनिवार्य

5. **बजट** :– महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार द्वारा राज्य के पटना जिला में **रक्षा गृह** (50 बिस्तर की क्षमता का) हेतु सालाना कुल रू0 37,19,983/–बजट अनुमोदित है।

संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश

6. **शुल्क**

   (क) प्रस्ताव (Request For Proosposal) के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।

7. **प्रस्तावक संस्था का विवरण**

   (क) संस्था की पृष्ठभूमि एवं संक्षिप्त परिचय

   (ख) प्रस्तावित कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर संस्था का दृष्टिकोण और कार्य प्रणाली संबंधी दस्तावेज।

8. **प्री बीड मीटिंग**

   इच्छुक संस्थाओं के लिए महिला एवं बाल विकास निगम में एक प्री बीड मीटिंग का आयोजन 2 नवंबर 2022 को 11.30 बजे से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त संस्थाएं अपने प्रश्नों(querry) को support.wdc@bihar.gov.in पर 1 नवंबर 2022 को संध्या 5 बजे तक भेज सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के उपरांत इस संबंध में कोई पत्राचार/संपर्क का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

9. **मूल्यांकन**

(क) प्रथम चरण (तकनीकी समीक्षा)– मार्गदर्शिका /विज्ञापन में वर्णित अर्हत्ताओं के आलोक में स्वयं सेवी संस्थाओ द्वारा समर्पित प्रस्तावों की जाँचोपरांत द्वितीय चरण हेतु किया जायेगा।

(ख) द्वितीय चरण (अंक निर्धारण)–संस्था के चयन हेतु अंक निर्धारित किये गये हैं। अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली संस्था का चयन अंतिम रूप से किया जायेगा। अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार होगा–

क्रमांक	**आधार**	**कुल अंक (अधिकतम)**
1	प्रस्तुतीकरण (Powerpoint)	15
2	कार्यानुभव	20
3	साक्षात्कार	15
	कुल अंक	50

(ग) अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली संस्था का चयन अंतिम रूप से संस्था के भौतिक सत्यापन के उपरांत किया जायेगा।

10. **प्रस्ताव स्वीकार/ निरस्त करने का अधिकार**

निगम को किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने तथा प्रस्ताव प्रक्रिया को पूर्णतया रदद करने और सभी प्रस्तावों को कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व बिना कोई कारण बताये समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

11. **धोखाघड़ी और भ्रष्टाचार :–**

भ्रष्ट आचरण से अर्थ है कि निगम के किसी भी पदाधिकारी/कर्मी को कार्य करने अथवा कार्य को प्रभावित करने या अनुबंध निष्पादन में प्रस्तावदाता द्वारा किसी मूल्य की पेषकष करना है। साथ ही गलत ब्यौरा/साक्ष्य देना धोखाघड़ी माना जायेगा तथा इस प्रकार का मामला संज्ञान में आने पर संस्था के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

12. **संशोधन :–**

प्रस्ताव समर्पित करने के पूर्व किसी भी समय निगम द्वारा किसी भी कारण से प्रस्ताव के आमंत्रण (Request For Proposal) को परिमार्जित (संशोधित) किया जा सकता है। संशोधन होने की स्थिति में इसकी सूचना निगम के वेबसाईट पर दी जायेगी।

13. **प्रस्ताव का प्रमाणीकरण :–**

(क) प्रस्ताव दस्तावेज स्वच्छ एवं मुद्रित तथा उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित होगा जो संस्था के प्राधिकार द्वारा प्रस्ताव करने हेतु अधिकृत होगें। यदि संस्था प्राधिकार स्वयं अपने हस्ताक्षर से प्रस्ताव समर्पित नहीं कर किसी अधिकृत प्रतिनिधि को निदेषित करते है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के लिये (Power of Attorney) प्राधिकृत पत्र के रूप में संलग्न होगा। प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा प्रस्ताव दस्तावेज के सभी पृष्टों पर, जहां संशोधन हुए हैं, हस्ताक्षर एवं मोहर के सहित समर्पित किया जायेगा।

(ख) प्रस्ताव एवं संलग्न अनुलग्नक सहित सभी पृष्ठों पर पृ. सं. अनिवार्य रूप से अंकित होना चाहिए।
(ग) अर्हतायें संबंधी सभी दस्तावेज संस्था सचिव/प्रधान द्वारा स्व–अभिप्रमाणित होना चाहिए।

14. **प्रस्ताव भेजने का पताः**

संस्थाओं का प्रस्ताव (Request For Proposal) केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा सील बंद लिफाफे में दिनांक 17 नवंबर 2022 को संध्या 6.00 बजे तक निगम कार्यालय में प्राप्त समर्पित किया जायेगा। लिफाफे के उपर स्पष्ट अक्षरों में Proposal for running Raksha Grih लिखा होना चाहिये। अंतिम तिथि एवं समय के बाद प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

कार्यपालक निदेशक,
महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार।